84/55 5259/12

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 812947

कोषागार लखनऊ से जारी

20 MAR 2012

आवंटी

सहायक आवास आयुक्त
वृन्दावन योजना, लखनऊ

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

पट्टा विलेख

यह पट्टा आज दिनांक 26 माह 03 वर्ष 2012 को उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद जिसे एतद पश्चात "पट्टाकर्ता" कहा गया है। एक पक्ष और माता अमृतानन्दमयी मठ अमृतापुरी, कोल्लाम जिला–केरला, इण्डिया–690525, वर्तमान में जिसका एक सम्पर्क कार्यालय पता–101, तिवोली अपार्टमेन्ट्स, 37, वजीर हसन रोड, लखनऊ–226001 में है द्वारा मठ/संस्था एवं निष्पादक के रूप में स्वामी प्रज्ञानामृता नन्दपुरी,के0एन0मेनन अधिकृत प्रतिनिध (जिसे एतद पश्चात "पट्टेदार" कहा गया है) दूसरे पक्ष के बीच किया गया है।

क्रमशः 2 पर

Prajnanam
आवंटी

MATA AMRITANANDAMAYI MATH
Authorised Signatory

सहायक आवास आयुक्त
वृन्दावन योजना, लखनऊ

२३. ३. ७२
सप्रेम
मात आनंदमयी माँ
[illegible]

कार्यवाह...

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 812944

20 MAR 2012

(2)

चूँकि आवास एवं विकास परिषद वुन्दावन योजना लखनऊ ने (जिसे एतद पश्चात " परिषद" कहा गया है) भूखण्डों और भवनों के पंजीकरण की योजना के अधीन इसमें आगे वर्णित भूखण्ड को इसमें आगे बताई गई रीति से पट्टेदार को पट्टान्तरित करने की सहमति दे दी है।

क्रमशः 3 पर

prajnanam

आवंटी

MATA AMRITANANDAMAYI MATH

Authorised Signatory

सहायक आवास आयुक्त
वृन्दावन योजना, लखनऊ

आवक ... क्रमांक

दिनांक 23.3.12

मूल्य [illegible]

नाम

द्वारा [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BC 812945

20 MAR 2012

(3)

अब यह विलेख इस बात का साक्षी है कि रूपये 3,20,25,663.00 (केवल रू0 तीन करोड़ बीस लाख पच्चीस हजार छः सौ तिरसठ मात्र) की धनराशि के प्रीमियम, जिसका भुगतान पट्टेदार द्वारा पट्टाकर्ता को कर दिया गया है।(जिसकी प्राप्ति एतद द्वारा अभिस्वीकार की जाती है) और एतद पश्चात निर्दिष्ट किराये और पट्टेदार की ओर से इसमें आगे दी गयी प्रसंविदाओं के प्रतिफल स्वरूप पट्टाकर्ता एतद द्वारा पट्टेदार को उसके समस्त अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष लाभ और निरोगपोता सहित वह समस्त भूखण्ड पट्टान्तरित करता है जिसको क्षेत्रफल 12121.15 वर्ग मीटर है और उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद की वृन्दावन योजना संख्या–2 भाग–2 लखनऊ योजना में स्थित है

क्रमशः 4 पर

आवंटी

MATA AMRITANANDAMAYI MATH

Authorised Signatory

सहायक आवास आयुक्त
वृन्दावन योजना, लखनऊ

आदर्श [illegible], [illegible]

दिनाँक 23 [illegible]

मूल्य [illegible]

नाम [illegible]

द्वारा [illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रूपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 812946

आदर्श कोषागार लखनऊ से जारी

10 MAR 2012

(4)

और जिसकी माप उत्तर–पूर्व –की ओर 85.30 मीटर दक्षिण–पश्चिम 65.60 पश्चिम–उत्तर– 124.40 मीटर पूर्व– दक्षिण 12.50 + 11.00 + 11.80+ 13.10+ 51.40 मीटर है और उक्त भूखण्ड इसमें नीचे लिखित अनुसूची में से अधिक विशिष्ट रूप से वर्णित है और 10A/I.C.-01 के रूप में संख्याकित किया गया है और जिसका कब्जा समस्त अधिकारों, सुखाविधकारों और अनुलग्नकों के साथ, जो भी उक्त भूखण्ड में हो या किसी प्रकार से उससे सम्बद्ध हो, पट्टेदार को एतदद्वारा पट्टान्तरित परिसर तीस (30) वर्ष दिनांक 01.04.2011 से दिनांक 31.03.2041 तक की अवधि तक धृत करने

क्रमशः 5 पर

आवंटी

MATA AMRITANANDAMAYI MATH

Authorised Signatory

सहायक आवास आयुक्त
वृन्दावन-योजना, लखनऊ

आदर्श कोषागार, लखनऊ

दिनांक 23.3.12

मूल्य

नाम

द्वारा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BR 812947

20 MAR 2012

(5)

के लिए पट्टेदार को, जिसके द्वारा भूमि–मूल्य की दस प्रतिशत धनराशि रूपये 32,02,700.00 लीज रेन्ट के रूप में जमा की जा चुकी है, परिदत्त किया जाता है। पट्टेदार प्रसंविदा करता है कि वह एतद्द्वारा स्वीकृत अवधि के दौरान पट्टाकर्ता को एतद्द्वारा निदिष्ट वार्षिक किराये का भुगतान इसमें पहले नियत दिनांक और रीति से करेगा और समय–सयम पर और सभी समय उक्त अवधि के दौरान सभी कर उपकर, प्रभार और प्रत्येक प्रकार के निर्धारित कर का जो इस समय विद्वमान है या इसके बाद उक्त अवधि के दौरान किसी समय एतद्द्वारा पट्टान्तरित उक्त परिसर या उसपर निर्मित किये जाने वाले भवन पर या उसके सम्बन्ध में भू'–स्वामी या किरायेदार

क्रमशः 6 पर

आवंटी

सहायक आवास आयुक्त
वृन्दावन योजना, लखनऊ

MATA AMRITANANDAMAYI MATH

Authorised Signatory

૨૩ · ૭૧૮
૭૮૦૮૮

મારા અમૃતાનંદભાઈ શેઠ
પ્રભાતના મૂલાનંદ પૂજ્ય

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 812946

20 MAR 2012

(6)

पर निर्धारित, प्रभारित या आरोपित किये जाये, भुगतान करेगा और उन्हे चुकता और अच्छे सारवान् और कर्मकार जैसी रीति से उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद के समाधान पद रूप में उक्त पट्टान्तरित परिसर के ऐसे भागों पर जैसा कि इस इसके साथ संलग्न नक्शे पर विदित है 5 वर्ष की अवधि के भीतर उसके निर्माण की विधियों के अनुसार उस निमित समक्ष प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नक्शे और उसकी ऊँचाई के अनुसार एक स्कूल का निर्माण करेगा और उसे षिक्षण कार्य के लिये पूर्णरूप से तैयार करेगा। अतिरिक्त स्कूल भूखण्डों हेतु परिषद द्वारा स्वीकृत गाईड लाइन्स एवं समय–समय पर निर्गत समस्त आदेश/नियम व शर्ते भी लागू होगी।

क्रमशः 7 पर

आवंटी

सहायक आवास आयुक्त
वृन्दावन योजना, लखनऊ

Authorised Signatory

२३. ३१२
[illegible]
[illegible]
[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 812949

20 MAR 2012

भूखण्ड का पट्टेदार परिषद के पूर्वानुमोदन के सिवाय अपने अधिकार का विक्रय या अन्तरण नहीं करेगा/करेगी, यदि अन्तरण आवंटन के दिनांक से प्रथम दस वर्ष की अवधि के भीतर अपेक्षित हो तो परिषद की पूर्णनुमति से करेगा/करेगी। आवंटन के दिनांक से दस वर्ष की अवधि के पश्चात अन्तरण आवास आयुक्त की अनुमति से करेगा। दोनो ही दशाओं मे अर्थात् यदि अन्तरण की अनुमति आवंटन के दिनांक से दस वर्ष की अवधि के भीतर परिषद द्वारा दी गयी हो या उसके पश्चात इसमें दी गयी अन्य शर्तो के अधीन आवास आयुक्त द्वारा दी गयी हो, पट्टान्तरित परिसर के यथा उपर्युक्त

क्रमशः 8 पर

आवंटी

MATA AMRITANANDAMAYI MATH

Authorised Signatory

सहायक आवास आयुक्त
वृन्दावन योजना, लखनऊ

૨૭ : ૩૧૨

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 812950

20 MAR 20[illegible]

(8)

प्रत्येक अनुवर्ती अन्तरण या त्याग करने की दशा में जो उस पर भवन के पूर्ण होने से पहले या बाद में किया जाय, ऐसी अनुमति लेने से पूर्व पट्टेदार अनुवर्ती अन्तरण या त्याग करने के दिनांक को पट्टान्तरित परिसर के बाजार मूल्य के प्रीमियम जैसा कि आवास आयुक्त द्वारा नियत किया जाय, और प्रीमियम के बीच अर्थात् प्रति वर्ग मीटर दर जिस पर इस विलेख के अधीन पट्टान्तरित परिसर पट्टे दर दिया जा रहा है, अन्तरण का 50% उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद को भुगतान करने के लिए आबद्ध होगा।

कमशः 9 पर

आवंटी

सहायक आवास आयुक्त
वृन्दावन योजना, लखनऊ

MATA AMRITANANDAMAYI [illegible]
Authorised Signatory

૨૩. ૩૧૨
[illegible] ૮
માતા [illegible]
[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 812951

20 MAR 2012

(9)

पट्टेदार उक्त उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की लिखित पूर्व सहमति के बिना पट्टान्तरित परिसर और भवन के किसी भाग पर पट्टान्तरित परिसर पर पहले से स्थित संरचना से भिन्न कोई अन्य निर्माण नहीं करेगा या निर्माण नहीं होने देगा और यथा उपर्युक्त ऐसी सहमति के बिना उक्त भवन के नक्शे या उसकी ऊँचाई मे कोई परिवर्तन नही करेगा।

क्रमशः 10 पर

आवंटी

सहायक आवास आयुक्त
वृन्दावन योजना, लखनऊ

Authorised Signatory

२३.३१२

२३०७ ८

भाग अमृतचंदजी महा

प्रभाचंद्राचार्य सूरि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 812952

20 MAR 2012

पट्टेदार यथा पूर्वोक्त अनुमति के बिना उक्त पट्टान्तरित परिसर का कोई उप विभाजन करने या हिस्सों मे उसका अन्तरण या समनुदेशन करने का हकदार नहीं होगा यद्यपि ऐसे सम्पूर्ण भूखण्ड को जो पट्टाकर्ता द्वारा उपगत किया गया हो और पट्टे पर दिया गया हो , समनुदेशित या अन्तरित किया जा सकता है और यह भी कि पट्टेदार को उक्त उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की लिखित पूर्व सहमति के बिना पट्टान्तरित परिसर या उसका कोई उप भाग किराये पर देने का कोई अधिकार नहीं होगा और यह भी कि पट्टेदार, उसका/उसकी समनुदेशिती या अन्तरिती यथा स्थिति उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद या आवास आयुक्त की सहमति से भी उस पट्टान्तरण के अधीन अपने अधिकारों का अन्तरण तब तक नहीं करेगा जब तक कि

क्रमशः 11 पर

आवंटी

सहायक आवास आयुक्त
वृन्दावन योजना, लखनऊ

MATA AMRITANANDAMAYI MATH
Authorised Signatory

आदर्श पु... ...र, लोहामंडी

दिनांक 23-3-72
मूल्य 25000
नाम भाता अमृतचंद जी भट्ट
द्वारा प्रभा पत्नी अमृतचंद पुर
रोकड़िया

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 696024

(11)

उसने इस विलेख के अधीन ऐसे समुनदेशन या अन्तरण के दिनांक को पट्टाकर्ता को उससे प्राप्त किराये के समस्त बकाया धनराशि का भुगतान न कर दिया हो और यदि पट्टेदार उसका/उसकी समनुदेशिती या अन्तरिती से पहले पट्टाकर्ता को उससे प्राप्त किराये के समस्त बकाया धनराशि भुगतान किये बिना कोई समनुदेशन या अन्तरण करता/करती है तो ऐसा/ऐसी समनुदेशिती या अन्तरिती भी ऐसे समनुदेशन या अन्तरण के दिनांक को पट्टाकर्ता को उससे प्राप्त किराये और प्रीमियम की समस्त बकाया धनराशि के लिए समान रूप से उत्तरदायी होगा/होगी और यह भी कि पट्टेदार समय-समय पर उक्त अवधि के दौरान सभी समय यथा पूर्ववत इस प्रकार निर्मित होने वाले भवनों की मरम्मत कराएगा और बाहर और भीतर दोनो ही और से अच्छी स्थिति मे रखेगा और उसकी पर्याप्त मरम्मत कराएगा और यह भी कि पट्टेदार

क्रमशः 12 पर

आवंटी

सहायक आवास आयुक्त
वृन्दावन योजना, लखनऊ

Authorised Signatory

10134

क्रम संख्या

स्टाम्प विक्रय की तिथि 23-3-12

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन [illegible]

स्टाम्प क्रय करने व लेने का नाम व पता माता [illegible]

स्टाम्प की धनराशि 5000

सौरभ निगम स्टाम्प विक्रेता ला. न. [illegible]

लाइसेन्स की वैधता 31-3-2013 [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(12)

किसी भी समय उक्त परिसर मे कोई व्यापार या कारोबार चाहे जो भी हो, नहीं करेगा या करने की अनुमति नही देगा या उसका उपयोग किसी धार्मिक प्रयोजन या निजी निवास से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं करेगा या उपयोग किये जाने की अनुमति नहीं देगा और पट्टान्तरित परिसर या उसके किसी भाग पर ऐसा कोई कार्य भी या उसेसी कोई बात नहीं करेगा या करने के अनुमति नहीं देगा जिससे पट्टा कर्ता को या पड़ोस के अन्य परिसरों के स्वामियों या अध्यासियों को कोई कष्ट, क्षति क्षोम या असुविधा हो या उत्पन्न हो जाय, परन्तु यह और कि पट्टेदार उक्त अवधि के समाप्त या समय से अपेक्षाकृत पहले ही पर्यवसान होने पर उक्त पट्टान्तरित परिसर और उक्त भवन को अच्छी और पर्याप्त मरम्मत करके शान्तिपूर्वक पट्टाकर्ता को अभ्यर्पित कर देगा

क्रमशः 13 पर

आवंटी

सहायक आवास आयुक्त
वृन्दावन योजना, लखनऊ

MATA AMRITANANDAMAYI MATH
Authorised Signatory

क्रम संख्या...... 7563

स्टाम्प [illegible] 23/3/2012

[illegible]

[illegible]

[illegible] माता अमृतानंद मई मठ द्वारा स्वामी प्रज्ञानामृतानंद पुरि

एहतिशामुल [illegible] ,192

लाइसेन्स की अवधि 31-3-2014, [illegible] भवन, लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 734745

19 MAR 2012

(13)

और छोड़ देगा जो अवधि के समाप्त होने पर या तो भवनों के मूल्यांकन के आधार पर ले सकते है या पटटे द्वारा को उसे हटाने का अधिकार होगा और जैसे ही उक्त परिसर समनुदेशन द्वारा या मृत्यु हो जाने से या विधि प्रवर्तन से या अन्यथा किसी भी प्रकार से एतद्द्वारा स्वीकृत अवधि के दौरान समनुदेशित हो जाय विरासत से प्राप्त हो जाय या अन्तरित हो जाय ऐसे समनुदेशन, विरासत में पाने या अन्तरण दिनांक से एक कैलेण्डर मास के भीतर उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद को सूचित किया जायेगा, जिसमें ऐसे प्रत्येक समनुदेशन के पक्षकारों के नाम और विवरण और उसकी विशिष्टियों और चीज वस्तु के साथ–साथ प्रत्येक समनुदेशन और इच्छापत्र का प्रत्येक प्रोवेट या प्रशासन पत्र डिकी आदेश, प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज दिये गये हो जिनसे ऐसे समनुदेशन विरासत या अन्तरण किया गया हो या प्रमाणित होता हो और उक्त नोटिस के साथ लगाये गये उपयुक्त दस्तावेज कम से कम सात दिन तक उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद,

क्रमशः 14 पर

आवंटी

सहायक आवास आयुक्त
वृन्दावन योजना, लखनऊ

MATA AMRITANANDAMAYI MATH
Authorised Signatory

7564

क्रम संख्या...

स्टाम्प विक्रय की तिथि.............................. 23/3/2012

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन..............................

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता.............................. माता अमृतानंदमयी मठ द्वारा स्वामी पूर्णामृतानंद पुरी

स्टाम्प की दर..............................

एहतिशामुल हक स्टाम्प विक्रेता लाइसेंस नं०,192

लाइसेंस की तिथि 31-3-2014, निबन्धन भवन, लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 736746

13 MAR 2012

(14)

लखनऊ के कार्यालय में रहेगें और यह भी उक्त अवधि के दौरान दिन में सभी युक्ति युक्त समय पट्टाकर्ता और उसके अभिकताओं के लिये उक्त पट्टान्तरित परिसर और उस पर यथापूर्व निर्मित होने वाले भवन में और उसपर प्रवेश करना और उसकी स्थिति का निरीक्षण और अवलोकन करना और किसी ऐसे निरीक्षण मे कोई खराबी या मरम्मत की आवश्यकता पाई जाने या पता लगने पर उसे पूरा कराने और उसकी पुनः मरम्मत कराने की लिखित नोटिस पट्टेदार को देना या उक्त परिषद मे छोड़ना विधि पूर्ण होगा और ऐसी नोटिस के ठीक तीन कैलेण्डर मास के भीतर पट्टेदार उसको तदनुसार भलीभॉति और पर्याप्त रूप से ठीक करेगा और उसकी पुनः मरम्मत करोयगा, सदैव उपबन्धित है और एतद द्वारा घोषित किया जाता है कि यदि पटटेदार एतद द्वारा निर्दिष्ट उक्त वार्षिक किराया या उसका कोई भाग, जिस किसी भी दिनांक को देय हो जायेगा उसके ठीक पश्चात एक कैलेण्डर मास तक बकाया और अदत्त रह जाय, जाये

क्रमशः 15 पर

आवंटी

सहायक आवास आयुक्त
वृन्दावन योजना, लखनऊ

MATA AMRITANANDAMAYI MATH
Authorised Signatory

7565

क्रम संख्या..............................

स्टाम्प विक्रय की तिथि 23/3/2012

स्टाम्प क्रय क...

स्टाम्प क्रेता का ...

स्टाम्प की ... माता अमृतानंदमयी मठ द्वारा स्वामी ...अमृतानंदपुरी

एडहेसिवमुद्रांक ... No. 192

लाइसेन्स की अवधि 31-3-2014, ... भवन, लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 482227

(15)

उसकी विधिपूर्ण मॉग की गयी हो या यदि पटटेदार द्वारा इसमे पहले दी गयी किसी ऐसी प्रसंविदा को जिसका उसकी ओर से अनुपालन या निष्पादन किया जाना हो, उल्लघंन या अनुपालन किया जायेगा तब ऐसे किसी मामले में पटटाकर्ता के लिये किसी पूर्ववर्ती मामले या पुनः प्रवेष के अधिकार का अधित्याग करते हुये भी दक्त पटटान्तरित परिसर और यथा पूर्वोक्त इस प्रकार निर्मित होने वाले भवन या सम्पूर्ण के नाम से उसके किसी भाग में और उस पर प्रवेष करना विधि पूर्ण होगा और तत्पश्चात् वह(परिसर और भवन) पटटकार्ता के उपयोग मे रहेगा और उसमे निधि हो जायेगा ओर एतद्द्वारा यह

कमशः 16 पर

आवंटी

सहायक आवास आयुक्त
वृन्दावन योजना, लखनऊ

...A AMRITA...DAMAYI MATH

Authorised Signatory

क्रम संख्या 5092

स्टाम्प [illegible] तिथि 23.3.12

स्टाम्प [illegible] का प्रयोजन लेख

स्टाम्प [illegible] का नाम व पूरा पता माता आत्मानंद मठ द्वारा स्वामी प्रशान्त भूतानंद पुरी

स्टाम्प की धनराशि 100

[illegible] विक्रेता

[illegible]

लाइसेन्स की [illegible] 31-03-2016

निबन्धन भवन लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 482223

(16)

प्रसंविदा रह जाती है कि इसमें इसके प्रयुक्त पद "पटटाकर्ता" और " पटटेदार" मे जब तक कि ऐसा निर्वचन प्रसंग असंगत न हो, पटटाकर्ता की स्थिति में उसके उत्तराधिकारियों और समनदेशित और पटटेदार की स्थिति में उसके वारिस, निष्पादक प्रशासक, प्रतिनिधि, और समनुदेशिती सम्मिलित होगें और इसके पक्षकारों के बीच एतद द्वारा सहमति है कि इस विलेख के निष्पादन और रजिस्ट्रीकरण के आनुशगिक सभी खर्च और व्यय पटटेदार द्वारा होगें जिसके साक्ष्य में उसके पक्षकारों ने पहले उपरिलिखित दिनांक, वर्ष को अपने हस्ताक्षर किये होगें।

कमशः 17 पर

आवंटी

सहायक आवास आयुक्त
वृन्दावन योजना, लखनऊ

MATA AMRITANANDAMAYI MATH

Authorised Signatory

क्र० संख्या 58993
स्टाम्प [illegible] तिथि 23.3.12
स्टाम्प [illegible] 1
[illegible] .... [illegible] मठ अमृतानंद [illegible] द्वारा स्वामी [illegible] [illegible] पुरी
[illegible]
....
[illegible] 1000
[illegible]
[illegible]
लाइसेन्स [illegible] 21-03-2016
निबन्धन भवन, लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 482222

(17)

माता अमृतानन्दमयी मठ अमृतापुरी, कोल्लाम जिला–केरला, इण्डिया–690525, वर्तमान में जिसका एक सम्पर्क कार्यालय पता–101, तिवोली अपार्टमेन्ट्स, 37, वजीर हसन रोड, लखनऊ–226001 में है द्वारा मठ/संस्था के अधिकृत प्रतिनिधि एवं निष्पादक के रूप में स्वामी प्रज्ञानामृता नन्दपुरी, अधिकृत प्रतिनिधि के बीच परिषद के स्कूल भूखण्ड पंजीकरण/प्रदेशन सम्बन्धी समस्त नियम व शर्ते लागू होगी जो कि फाण्डेसन को मान्य होगी एवं उक्त स्कूल भूखण्ड पर भविष्य में यदि कार्नर शुल्क लिये जाने का निर्णय परिषद द्वारा लिया जाता है तो मठ/संस्था परिषद द्वारा सूचित धनराशि दण्ड ब्याज सहित निर्धारित अवधि में एक मुश्त जमा करने हेतु बाध्य होगी।

क्रमशः 18 पर

Prajnanamr

आवंटी

सहायक आवास आयुक्त
वृन्दावन योजना, लखनऊ

MATA AMRITANANDAMAYI MATH
Authorised Signatory

क्रम संख्या........5894........
स्टाम्प [illegible] की तिथि........23-3-12........
स्टाम्प [illegible] का प्रयोजन........[illegible]........
[illegible]..........

[illegible]........1050........
[illegible] [illegible]
[illegible]
लाइसेन्स की [illegible] 31-03-2016
निबन्धन भवन, लखनऊ

माता अमृतानंद मई मठ द्वारा स्वामी प्रज्ञाना मृतानंद पुरि

[illegible]

नोटः—(1) अतः शासनादेश सं0वि0क0नि 5-2756/11-2008-500(115)-2007 दिनांक 30.06.2008 के अन्तर्गत 7 % की दर से स्टाम्प रूपये 24,73,000.00 पर पट्टा विलेख निष्पादित किया जा चुका है।

नोटः—(2) उत्तर प्रदेश शासन कर एवं निबन्धन अनुभाग—5 के शासनादेश सं0वि0क0नि 5-3757/11-2010-500(100)-2008 दिनांक 16.11.2011 के अन्तर्गत परिषद दर पर विक्रय विलेख निष्पादित किया जा रहा है।

नोटः—(3) उक्त स्कूल भूखण्ड के आवंटी द्वारा पट्टा अनुबन्ध में प्रयुक्त स्टामप एक्ट की धारा—10A के अधीन जिलाधिकारी(म0) लखनऊ के आदेश संख्या—18 दि0 06-04-2011 के क्रम में राजकीय व्यवसायिक शाखा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के चालान संख्या—जी—050032 दिनांक 21.03.2012 के विरूद्व मुख्य कोषाधिकारी कलेक्ट्रेट कोषागार लखनऊ द्वारा दिनांक 23.03.2012 को निर्गत रूपये 22,00,000.00 का स्टाम्प प्रमाण पत्र व रूपये 2,73,000/- के जनरल स्टाम्प पेपर पर पट्टा अनुबन्ध निष्पादित किया जा रहा है।

क्रमशः 19 पर

आवंटी

सहायक आवास आयुक्त
वृन्दावन योजना, लखनऊ

MATA AMRIT... AMAYI MATH
Authorised Signatory

इसमे निर्दिष्ट भूखण्ड की समाओं की अनुसूची।

उत्तरः– संलग्न साईट प्लान के अनुसार
दक्षिण संलग्न साईट प्लान के अनुसार
पूर्व संलग्न साईट प्लान के अनुसार
पश्चिम संलग्न साईट प्लान के अनुसार
पट्टाकर्ता की ओर से और उसके
लिए हस्ताक्षरित

साक्षीः 1 हस्ताक्षर
2 नाम
3 पता

(अनिल कुमार)
सहायक आवास आयुक्त
वृन्दावन योजना, लखनऊ

साक्षीः1 हस्ताक्षर
2 नाम
3 पता

पट्टेदार की ओर से और उसके लिए
हस्ताक्षरित

साक्षीः 1 हस्ताक्षर
2 नाम
3 पता

1 हस्ताक्षर

MATA AMRITANANDAMAYI MATH

Authorised Signatory

साक्षीः 1 हस्ताक्षर
2 नाम Sanjeev Mishra
3 पता

2 नाम श्री

आवंटी

3 पिता का नाम

पट्टा विलेख (30 वर्ष)

प्रतिफल	मालियत	ओसत वार्षिक किराया	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग
	32,025,633.00		10,000.00	40	10,040.00	2,000

श्री स्वामी प्रज्ञानामृता नन्दपुरी के0 एन0 मेनन (प्रतिनिधि)

पुत्र श्री

व्यवसाय समाज सेवा

निवासी स्थायी 101 तिवाली अपार्ट0 37 वजीर हसन रोड लखनऊ

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 26/3/2012 समय 2:26PM

वजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी. के.सिह
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
26/3/2012

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

पट्टा दाता

इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि इस लेखपत्र का निष्पादन श्री उ0 प्र0 आ0 वि0प0 द्वारा अनिल कुमार सहा0 आ0आ0 ने अपने पद के अधिकार से किया है इसलिये उनकी उपस्थिति और हस्ताक्षरों की आवश्यकता नहीं है, और लेखपत्र रजिस्टीकरण के लिए स्वीकार किया गया।

पट्टा गृहीता

श्री स्वामी प्रज्ञानामृता नन्दपुरी के0 एन0 मेनन (प्रतिनिधि)
पुत्र श्री
पेशा समाज सेवा
निवासी 101 तिवाली अपार्ट0 37 वजीर हसन रोड लखनऊ

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान श्री **हरीमोहन योजना सहा0 आ0 वि0प0**

पेशा **नौकरी**

निवासी

व श्री **योगेन्द्र नारायण तिवारी**

पुत्र श्री **सभाजीत तिवारी**

पेशा **कृषि**

निवासी **उतरेटिया लखनऊ**

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी. के.सिह
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
26/3/2012

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

41AB 974569

CERTIFICATE

In pursunance of the order of the collector No. ....18.......................... dated 06.04.2011.......................... passed under Section 10-A at the stamp act is certified that an amount of **Rs. 22,00,000/-** in words **(Rupees Twenty Two Lacs Only)** has been paid by **Mata Amritanandmai Math through Swami Pragyanamritanandpuri, Lucknow** in cash as stamp duty in respect of this instrument in the State Bank of India Lucknow by Challan No. **G-050032** dated 21.03.2012 a copy of which is annexed herewith.

Dated. 23-03-2012

Chief Treasury Officer
Lucknow

23/03/2012

प्रिय रंजन कुमार
मुख्य कोषाधिकारी
कलेक्ट्रेट, लखनऊ

Pragnanam
आवंटी

सहायक आवास आयुक्त
वृन्दावन योजना, लखनऊ

MATA AMRITANANDAMAYI MATH
Authorised Signatory

क्रम संख्या 5782
स्टाम्प [illegible] की तिथि 22/3/12
स्टाम्प [illegible] करने का प्रयोजन लेखपत्र
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता माता अमृतानंदमयी मठ द्वारा - स्वामी प्रज्ञानामृतानंदपुरी लखनऊ
स्टाम्प की धनराशि 10/-
[illegible] स्टाम्प विक्रेता
[illegible] 259
लाइसेंस [illegible] 31-03-2010
निबन्धन भवन, लखनऊ

पट्टा गृहीता

Registration No. : 5259 Year : 2,012 Book No. : 1

0201 स्वामी प्रज्ञानामृता नन्दपुरी के0 एन0 मेनन (प्रतिनिधि)

101 तिवाली अपार्ट0 37 वजीर हसन रोड लखनऊ
समाज सेवा

- 2440536(Off.)

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER C.D. – 3

(I.S.O.-9001:2000 CERTIFIED BOARD)

U.P. AVAS EVAM VIKAS PARISHAD VRINDAVAN SCHEME No.-2,
H.No. 2C/117,118 &119, RAI BEARILLY ROAD, LUCKNOW

SITE PLAN OF PLOT/~~HOUSE~~ No. 10-A/I-C-01 SECTOR- 10-A
AT VRINDAVAN YOJNA No.-2, PART-II, LUCKNOW.
OWNER ~~SRI.~~ /SMT. माता अमृतानन्द मयी मठ
TOTAL PLOT AREA-12121.15 SQM.

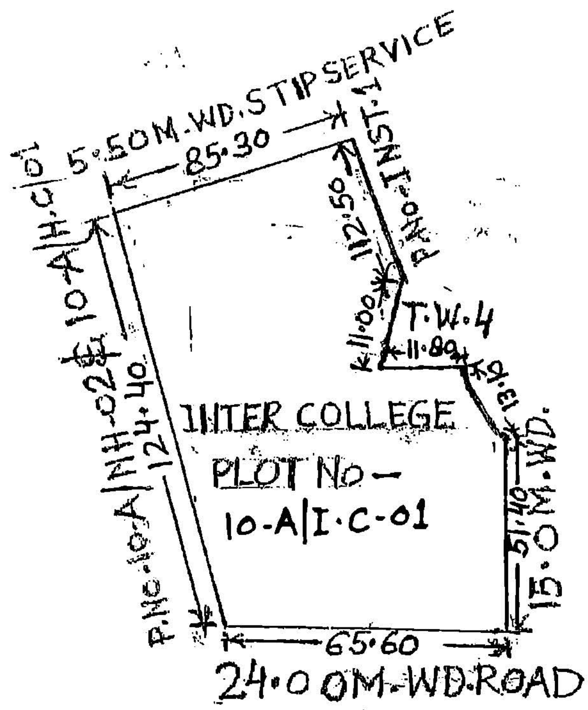

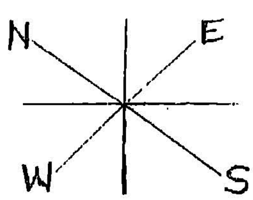

रजिस्ट्री हेतु निर्गत
रजिस्टर क्रमांक 48......दि० 20/10/11

1 Area Of Plot No-10A/IC-01

Trianle	A	B	C	S	AREA
A	112.5	85.3	130.6	164.20	4743.95
B	124.4	76.0	130.6	165.50	4609.40
C	65.6	51.4	83.8	100.40	1685.81
D	83.8	82.4	13.1	89.65	539.50
E	82.4	71.5	11.8	82.85	173.39
F	71.5	11.0	76.0	79.25	369.10
				Total	12121.15 Sqm

D/MAN J.E. A.E. सहायक आ... वृन्दावन योज...

आवंटी

MATA AMRITANANDAMAYI MATH

Authorised Signatory

आज दिनांक **26/03/2012** को

वही सं. **1** जिल्द सं. **13973**

पृष्ठ सं. **195** से **236** पर कमांक **5259**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी.के. सिंह

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

26/3/2012